/लोक सभा/



**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**
**भारत सरकार**
*********
**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**
**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

## सी-295 रक्षा विमान

रक्षा मंत्रालय ने पुराने एवीआरओ बेड़े को प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय वायु सेना के लिए 56 सी-295 एमडब्ल्यू परिवहन विमानों की अधिप्राप्ति के लिए दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को मैसर्स एयरबस डिफेंस और स्पेस, एस.ए.स्पेन के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं । इस संविदा के तहत 16 विमानों की 'फ्लाई अवे' स्थिति में आपूर्ति की जाएगी और 40 विमान प्राइम के रूप में टीएएसएल के साथ टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड (टीएएसएल) और टाटा कलसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चयनित (टाटा कंसोर्टियम) मैसर्स एयरबस द्वारा भारत में विनिर्मित किया जाएगा ।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहलें शुरू की हैं और रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए हैं ताकि देश में रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके । इन पहलों में अन्य बातों के साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अन्तर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को वरीयता देना; मार्च, 2020 में उद्योग द्वारा अभिकल्पन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा ; सेना की कुल 411 मदों की चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) की 3738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' जिसके लिए उनके समक्ष इंगित समय-सीमा के बाद आयात पर निषेध होगा, की अधिसूचना; दीर्घकालिक वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; मिशन डेफ स्पेस की शुरूआत; स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करते हुए रक्षा उत्कृष्टता हेतु ऩवोन्मेष (आईडेक्स) योजना का शुभारंभ; सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुगम बनाने के लिए 'सृजन' नामक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ; उच्च गुणकों के साथ रक्षा विनिर्माण के लिए विनिवेश और प्रौद्योगिकी हस्तातंरण पर बल देते हुए ऑफसेट नीति में सुधार करना और उत्तर प्रदेश

और तमिलनाडु प्रत्येक में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना करना; रक्षा आर एण्ड डी बजट का 25 प्रतिशत निर्धारित करके उद्योगों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक जगत के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) की शुरूआत करना ; और घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के रक्षा बजट के आवंटन में क्रमिक वृद्धि, आदि शामिल है ।

आयुध निर्माणियों में कार्यात्मक स्वायत्ता, दक्षता में वृद्धि और नई विकास सम्भावनाओं और नवाचार के लिए तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड की उत्पादन इकाइयों को 01 अक्तूबर, 2021 से 41 यूनिटों को 7 रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में निगमित किया गया है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री राजा अमरेश्वर नाईक एवं अन्य** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/

**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**

**भारत सरकार**

*********

**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**

**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# सैनिक विद्यालय सोसायटी

पूर्व छात्र संघ सैनिक स्कूलों के स्तंभों और क्षमता में से एक रहे हैं और वे सैनिक स्कूलों की वित्तीय रूप में सहायता करते रहे है तथा सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के बीच मिलनसारी / स्वस्थ वातावरण स्थापित करते रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा तत्कालीन मॉडल के अंतर्गत संचालित किए जा रहे 33 मौजूदा सैनिक स्कूलों में से 23 पुराने स्कूलों में पूर्व छात्र संघ हैं।

सैनिक स्कूल सोसायटी को पूर्व छात्र संघों के अपने यशस्वी सदस्यों पर अपार गर्व हैं और स्कूल पारस्परिक चर्चा कार्यक्रमों के द्वारा उनको बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान प्रबंधन सामान्य रूप में सैनिक स्कूलों और उनके विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए सुचारू रूप में कार्यरत है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री एस. मुनिस्वामी** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/



**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**

**भारत सरकार**

*********

**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**

**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# कैंटोनमेंट ओल्ड ग्रांट (रेगुलेशन) विधेयक, 2022

छावनी क्षेत्रों में ओल्ड ग्रांट प्रोपर्टी को नियंत्रित करने के लिए इन संपत्तियों को शासित करने वाली मौजूदा नियमावलियों को हटाकर एक तंत्र का निर्माण के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उपर्युक्त में प्रस्तावित तंत्र का गठन करते समय जन प्रतिनिधियों और साधारण जन से समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर विधिवत विचार किया गया था। मौजूदा मामलों में कोई सुझाव / आपत्तियां अलग से आमंत्रित नहीं की गई हैं।

समाप्त हो चुके पट्टे को बढ़ाने/नवीनीकरण को नियंत्रित करने के लिए एक नीति रक्षा मंत्रालय के दिनांक 10.03.2017 के पत्र द्वारा जारी की गई है । तब से समय-समय पर नीति का विस्तार किया गया है और वर्तमान में यह दिनांक 31.12.2022 तक वैध है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री कृपाल बालाजी तुमाने** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/



**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**

**भारत सरकार**

*********

**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**

**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# रक्षा निर्यात

## 'रक्षा निर्यात' के बारे में लोक सभा में उल्लिखित विवरण।

रक्षा उत्पादन विभाग विशेष रसायनों, जीवाश्मों, सामग्रियों, उपस्करों एवं प्रौद्योगिकियों (स्कॉमेट) की श्रेणी 6 में आने वाली आयुध सूची मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार जारी करता है। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार ऐसे निर्यात प्राधिकार जारी किए जाते हैं। वेपन सिमुलेटर्स, टीयर गैस लांचर, टारपीडो लोडिंग तंत्र, अलार्म निगरानी एवं नियंत्रण, नाइट विजन मोनोक्यूलर एवं बाइनोक्यूलर, हल्के टारपीडो एवं अग्निशमन प्रणाली, बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, वेपन लोकेटिंग रडार, एचएफ रेडियो, तटीय निगरानी रडार इत्यादि प्रमुख रक्षा उपस्कर हैं जिनका गत पांच वर्षों में निर्यात किया गया है। इन उपस्करों का विश्व भर के भिन्न-भिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। सामरिक कारणों से इन देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता। गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात मूल्य इस प्रकार है:-

(मूल्य करोड़ रु. में)

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 (दिनांक 20.12.2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल निर्यात मूल्य (करोड़ रु. में) | 4682 | 10746 | 9116 | 8435 | 12815 | 7931 |

सरकार ने वर्ष 2024-25 तक रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने तथा 35,000 करोड़ रु. के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु व्यापार करने की सुगमता सहित कई सुधार किए हैं:-

विशेष रसायनों, जीवाश्वों, सामग्रियों, उपस्करों एवं प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) की श्रेणी 6 नामक "आयुध सूची" जो अब तक "आरक्षित" थी, को प्रकाशित कर दिया गया है और दिनांक 13 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. 115(आरई-2013)/2009-2014 के तहत अधिसूचित सैन्य भंडार सूची रद्द हो गई है ।

विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने दिनांक 24 अप्रैल, 2017 की सार्वजनिक सूचना सं.4/2015-20 के तहत अपने प्राधिकार भी प्रत्यायोजित किया है तथा रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) को स्कोमेट की श्रेणी 6 में निर्यात मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है । स्कोमेट की वस्तु पहचान नोट (सीआईएन) के नोट 2 एवं 3 के अंतर्गत आने वाली मदों को छोड़कर श्रेणी 6 (आयुध सूची) में विनिर्दिष्ट मदों का निर्यात अब रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया द्वारा शासित है ।

आयुध सूची की मदों के निर्यात के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सरल बनाया गया है और इसे रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है ।

निर्यात प्राधिकार अनुमति प्राप्त करने और इसकी प्रोसेसिंग के लिए एक संपूर्ण एंड-टू-एंड ऑन-लाइन पोर्टल विकसित किया गया है । इस पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किए जाते हैं और प्राधिकार भी शीघ्र ही डिजीटल रूप से जारी किए जाते हैं ।

समान कंपनी को उसी प्रकार के उत्पाद के पुनरावृत्ति आर्डरों के संबंध में परामर्श प्रक्रिया को हटा दिया गया है एवं तत्काल अनुमति जारी की जाती है । भिन्न कंपनी को समान उत्पाद के पुनरावृत्ति आर्डर के लिए विगत में सभी हितधारकों के साथ किया जाने वाला परामर्श अब केवल एमईए तक सीमित है ।

अंतर-कंपनी व्यापार में (जो कि रक्षा से संबंधित विदेशी मूल की कंपनी द्वारा भारत में इसकी अनुषंगी के लिए कार्य की आउटसोर्सिंग के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है) आयातक देश की सरकार से वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र (ईयूसी) प्राप्त करने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है एवं 'क्रेता' कंपनी ईयूसी जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

वैशेनार प्रबंधन (डब्ल्यूए) देशों को इंजीनियरिंग सेवा (आयुध सूची से संबंधित टीओटी) प्रदान करने के मामले में सरकार से हस्ताक्षरित ईयूसी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है ।

डब्ल्यूए सदस्य देशों को सिविल कार्य के उपयोग के लिए प्रणालियों/प्लेटफार्मों के वैध निर्यात पर विचार किया जाता है बशर्ते कि आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी ईयूसी अथवा आयात प्रमाण-पत्र अथवा समतुल्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए ।

सिविल उपयोग हेतु कलपुर्जों एवं संघटकों के वैध निर्यात को अब एमईए के साथ पूर्व परामर्श के उपरांत डब्ल्यूए देशों को अनुमत किया जा रहा है ।

प्रदर्शनी उद्देश्यों हेतु मदों के निर्यात के लिए हितधारकों के साथ परामर्श की शर्त को (चुनिंदा देशों को छोड़कर) समाप्त कर दिया गया है ।

निर्यात के अवसरों का पता लगाने और वैश्विक निविदाओं में साझेदारी हेतु डीआरडीओ एवं डीपीएसयू के सीएमडी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं ।

कलपुर्जों एवं संघटकों के लिए नए सरलीकृत अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण-पत्र फार्मेट को एसओपी में उपलब्ध करवाया गया है ।

कलपुर्जों एवं संघटकों के निर्यात प्राधिकार की वैधता को दो वर्षों से आर्डर/घटक के पूर्ण होने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दिया गया है ।

वारंटी बाध्यता के तहत घटक के लिए प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए मरम्मत अथवा पुनः कार्य करने हेतु कलपुर्जों एवं संघटकों के पुनः निर्यात के लिए एक नया प्रावधान रिपीट आर्डरों के उपवर्गीकरण के रूप में एसओपी में शामिल किया गया है ।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 1.11.2018 की अधिसूचना के तहत लघु शस्त्रों के कलपूर्जों एवं संघटकों के लिए फार्म X-ए में शस्त्र नियमावली, 2016 के अंतर्गत निर्यात अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु रक्षा उत्पादन विभाग को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी है । इससे रक्षा उत्पादन विभाग लघु शस्त्रों और गोला-बारूद के कलपुर्जों एवं संघटकों के निर्यात के लिए निर्यातक हेतु एकमात्र सम्पर्क स्थल बन गया है ।

सरकार ने खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) – एक बारगी निर्यात लाइसेंस को अधिसूचित किया है जो उद्योग को ओजीईएल की वैधता के दौरान निर्यात प्राधिकार प्राप्त किए बगैर ओजीईएल में उल्लिखित विनिर्दिष्ट स्थानों पर विशिष्ट मदों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करता है । ओजीईएल को एंड टू एंड ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है ।

भावी निर्यातकों को अपने उत्पाद सरकार द्वारा प्रमाणित कराने के लिए एक अवसर प्रदान करने हेतु रक्षा निर्यात संवर्धन योजना अधिसूचित की गई है और यह योजना उत्पाद की आरंभिक वैधता एवं बाद के फील्ड परीक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय की परीक्षण अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करती है । भावी निर्यातक द्वारा अपने उत्पादों की वैश्विक बाजार में उपयुक्त रूप से मार्केटिंग करने के लिए इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

विभिन्न देशों से प्राप्त पूछताछ सहित निर्यात से संबंधित कार्रवाई के बारे में समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निर्यात संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सहायता के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया गया है ।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग से सक्रिय भागीदारी के साथ उद्योग और विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से डीडीपी, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में मित्र देशों (एफएफसी) के साथ नियमित वेबिनारों का आयोजन किया जा रहा है ।

रक्षा अताशे को उन देशों में जिससे वे संबद्ध हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना अधिसूचित की गई है ।

मित्र देशों को प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात के लिए स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की सुविधा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की गई है ।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे एवं अन्य** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**

**भारत सरकार**

*********

**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**

**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती

भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती सेना की संगठनात्मक आवश्यकता, लड़ाकू दक्षता, युद्धक प्रभावकारिता तथा कार्यप्रणाली पर आधारित होती है । भारतीय सेना द्वारा लैंगिक समानता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की भर्ती अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर होती है । प्रथम बैच का प्रशिक्षण शरद ऋतु (ऑटम) 2022 से चल रहा है ।

(ii) 100 महिलाओं को सेना पुलिस कोर में सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया है । 1700 महिलाओं को चरणबद्ध रूप में भर्ती किया जाएगा ।

(iii) 620 अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को सेना चिकित्सा कोर और दंत चिकित्सा कोर को छोड़कर सेना की 10 शाखा में स्थायी कमीशन दिया गया है ।

**लैंगिक समानता पदोन्नति.** पदोन्नति पहलुओं को सम्मिलित करते हुए लैंगिक समानता कैरियर उन्नयन नीति 23 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित की गई है । इस नीति में महिला अधिकारियों को सेना की उन शाखाओं / सेवाओं जिनमें उनको कमीशन दिया गया है, में उच्च रैंक में पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है । अधिकारियों के लिए कैरियर उन्नयन नीति लैंगिक समानता पर आधारित है ताकि भविष्य में महिलाओं की भारतीय सेना में उच्च नेतृत्व वाली भूमिकाओं में भागीदारी प्रशस्त हो सके ।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**
**भारत सरकार**
*********
**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**
**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# सैन्य कर्मियों के लिए अस्पतालों की कमी

सशस्त्र सेना कार्मिकों को पर्याप्त इलाज के लिए देश में अस्पतालों की कोई कमी नहीं है।

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में संचारी रोगों या अन्य बीमारियों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए सशस्त्र सेना कार्मिकों की संख्या और उनके उपचार पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नवत है:-

| वर्ष | सशस्त्र सेना कार्मिकों की संख्या | उपचार का कुल खर्च (रूपए में) |
|---|---|---|
| 2019 | 45 | 45,04,332 |
| 2020 | 63 | 71,42,157 |
| 2021 | 104 | 1,22,04,272 |
| कुल | 212 | 2,38,50,761 |

सेवारत कार्मिकों को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के अस्पतालों और यूनिटों में व्यापक स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाता है। वार्षिक चिकित्सा जांच के रूप में वार्षिक व्यापक स्वास्थ्य जांच सभी सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री महाबली सिंह** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**
**भारत सरकार**
*********
**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**
**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# नए सैनिक विद्यालयों में छात्राओं का नामांकन

ऐसे नए सैनिक स्कूलों जिनके साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, का आंध्र प्रदेश और हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध 'क'** में दिया गया है।

पूर्ववर्ती मॉडल के अंतर्गत संचालित 33 सैनिक स्कूलों, इन सैनिक स्कूलों में नियुक्त महिला शिक्षकों के साथ-साथ नामांकित लड़कियों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध 'ख'** में दिया गया है।

छात्राओं और महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार किया गया है और मौजूदा सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स/ महिला केंद्रित अवसंरचना सृजित की गई है । इसके अलावा गर्ल कैडेट्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल महिला कर्मचारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

## 'नए सैनिक विद्यालयों में छात्राओं का नामांकन' के बारे में उल्लिखित अनुबंध-क

आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा सहित 18 नए स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा
(भागीदारी मोड में)

| क्र.सं | राज्य | अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की संख्या जिनके साथ सैनिक सोसाइटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । |
|---|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र | 2 |
| 2. | कर्नाटक | 2 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 4. | गुजरात | 2 |
| 5. | हरियाणा | 2* |
| 6. | बिहार | 2 |
| 7. | आन्ध्र प्रदेश | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | पंजाब | 1 |
| 9. | अरूणाचल प्रदेश | 1 |
| 10. | केरल | 1 |
| 11. | तमिलनाडु | 1 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1 |
| 13. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 |

*हरियाणा के हिसार जिले में किसी सैनिक स्कूल की स्थापना नहीं की गई है ।

## 'नए सैनिक विद्यालयों में छात्राओं का नामांकन' के बारे में उल्लिखित अनुबंध-ख

मौजूदा सैनिक स्कूलों में नियुक्त महिला शिक्षकों की संख्या के साथ-साथ मौजूदा सैनिक स्कूलों में नामांकित लड़कियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | सैनिक स्कूल का नाम | छात्राओं के नामांकन की कुल संख्या | नियुक्त की गई महिला शिक्षकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | कालीकिरी | 27 | 6 |
| | | कोरूकोंडा | 19 | 3 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | पूर्व सियांग | 21 | 3 |
| 3 | असम | गोलपारा | 20 | 3 |
| 4 | बिहार | गोपालगंज | 20 | 1 |
| | | नालंदा | 20 | 4 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | अंबिकापुर | 19 | 5 |
| 6 | गुजरात | बालाचढ़ी | 20 | 8 |
| 7 | हरियाणा | कुंजपारा | 20 | 9 |
| | | रेवाड़ी | 18 | 6 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | सुजानपुर तीरा | 20 | 12 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | नगरौटा | 20 | 8 |
| 10 | झारखंड | तिलैय्या | 25 | 10 |
| 11 | कर्नाटक | बीजापुर | 24 | 4 |
| | | कोडागू | 28 | 8 |
| 12 | केरल | काझाकूटम | 20 | 6 |
| 13 | मध्य प्रदेश | रेवा | 20 | 3 |
| 14 | महाराष्ट्र | चन्द्रपुर | 27 | 9 |
| | | सतारा | 22 | 8 |
| 15 | | | 19 | 7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मणिपुर | इम्फाल | | |
| 16 | मिजोरम | झिंगचिप | 38 | 6 |
| 17 | नागालैंड | पुंगलवा | 20 | 8 |
| 18 | ओडिसा | भुवनेश्वर | 21 | 11 |
| | | संभलपुर | 20 | 6 |
| 19 | पंजाब | कपूरथला | 20 | 4 |
| 20 | राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | 20 | 3 |
| | | झुंझुनू | 20 | 3 |
| 21 | तमिलनाडु | अमरावतीनगर | 20 | 7 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | अमेठी | 17 | 5 |
| | | झांसी | 17 | 8 |
| | | मैनपुरी | 15 | 11 |
| 23 | उत्तराखंड | घोरखल | 26 | 9 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | पुरूलिया | 19 | 4 |
| कुल योग | | | 702 | 208 |

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी** व अन्य द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**

**भारत सरकार**

*********

**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**

**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# रक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति

रक्षा उपकरणों की पूंजीगत अधिप्राप्ति विभिन्न घरेलू विनिर्माताओं और विदेशी विक्रेताओं से जोखिम अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के आधार पर की जाती है ताकि सशस्त्र बलों को तैयारी की स्थिति में रखा जा सके ।

विगत तीन वित्तीय वर्षों (**2019-20** से **2021-22)** और मौजूदा वित्त वर्ष **2022-23** (नवंबर, **2022** तक) के दौरान रक्षा उपकरणों की पूंजी अधिप्राप्ति के लिए कुल **166** संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें से कुल संविदा मूल्य के **69.86%** के लिए जिम्मेदार **112** संविदाओं पर रक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं ।

उसी अवधि (**2019-20** से **2022-23)** तक (नवंबर, **2022** तक) सरकार ने रक्षा उपकरणों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए लगभग **2,95,034** करोड़ रू. मूल्य के **200** प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी है जिनमें से लगभग **2,57,141** करोड़ रू. (**87.15%)** मूल्य के **172** प्रस्ताव स्वदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त करने के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं । घरेलू विनिर्माताओं से रक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षण और अनुसंधान हेतु 11 सार्वजनिक/निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) के तौर पर घोषित किया गया है । महानिदेशालय (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) डीआरडीओ [नामतः (फ्यूचरिस्टिक प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय (डीएफटीएम), प्राकार बाह्य अनुसंधान और बौद्धिक संपदा अधिकार (ईआरएंडआईपीआर), वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड (एआरएंडडीबी), नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी),जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एलएसआरबी) और युद्ध सामग्री अनुसंधान बोर्ड

(एआरएमआरईबी)] की सहायता अनुदान स्कीमों के अंतर्गत रक्षा अनुप्रयोगों के लिए इन विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है।

डीआरडीओ ने उपर्युक्त स्कीमों के माध्यम से विभिन्न संस्थानों को रक्षा अनुप्रयोग संबंधी अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की हैं । इसके अलावा डीआरडीओ ने निम्नलिखित 7 उत्कृष्टता संस्थानों में डीआरडीओ-उद्योग-उत्कृष्ट शैक्षिक केंद्र (डीआईए-सीओई) की स्थापना की है:-

(i) डीआईए-सीओई, आईआईटी दिल्ली
(ii) डीआईए-सीओई, मुम्बई
(iii) डीआईए-सीओई, हैदराबाद विश्वविद्यालय
(iv) डीआईए-आरसीओई, आईआईएससी बैंगलुरू
(v) डीआईए-आरसीओई, आईआईटी मद्रास
(vi) डीआईए-सीओई, आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
(vi) डीआईए-सीओई, आईआईटी खड़गपुर

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री विष्णु दयाल राम** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**

/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**
**भारत सरकार**
*********
**'हर काम देश के नाम'**

**नई दिल्लीः पौष 02, 1944**
**शुक्रवारः 23 दिसंबर 2022**

# रक्षा अनुसंधान संस्थान

आज की तारीख तक, देश में डीआरडीओ की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं सहित 46 प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं हैं ।

सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :

- नवीनतम नवाचारों के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (डीवाईएसएल) का सृजन - डीआरडीओ ने युवा वैज्ञानिकों / इंजीनियरों को डीआरडीओ से जुड़ने हेतु आकर्षित करने तथा उभरते अभियांत्रिकी क्षेत्रों और उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास का वातावरण उपलब्ध कराने तथा युवा वैज्ञानिकों को अपनी विषम प्रौद्योगिकियों एवं स्मार्ट प्रतिभा सिद्ध करने के लिए उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए पांच डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (डीवाईएसएल) का सृजन किया है ।

- डीआरडीओ ने उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए अथवा अनुसंधान अनुभव की प्राप्ति हेतु अनुसंधान कार्य की ओर अग्रसर करने के लिए तेज, युवा वैज्ञानिकों / इंजीनियरों को अवसर प्रदान करने के लिए अनुसंधान फेलोशिप की एक स्कीम शुरू की है । इसके अलावा, बाहरी अनुसंधान एवं बौद्धिक संपत्ति अधिकार (ईआर एंड आईपीआर) द्वारा सहायतानुदान जैसी अन्य स्कीमें, अनुसंधान बोर्डों के तहत डीआरडीओ द्वारा विभिन्न स्कीमें/समझौता ज्ञापन, प्रदर्शनियां, अन्तर विद्यालय और अन्तर महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं आदि स्कूल तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रति रूचि सृजित करने लिए शुरू किए गए हैं ।

- डीआरडीओ द्वारा स्कूल तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रति रूचि सृजित करने के लिए प्रशिक्षुता स्कीम, बीटेक/एमटेक/एमएससी विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, प्रदर्शनियां, अन्तर-महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं आदि भी शुरू की गई हैं ।
- डिफेंस इंडस्ट्री एकेडमियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीआईए-सीओई) : डीआरडीओ वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय परियोजनाओं को कार्यान्वित करने तथा डीआरडीओ द्वारा वित्तपोषित इन केन्द्रों में विशिष्ट परीक्षण सुविधाएं सृजित करने के लिए आईआईटी विश्वविद्यालयों में डीआईए-सीओई के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । वर्तमान में, डीआरडीओ द्वारा अब तक ऐसे 15 डीआईए-सीओई स्थापित किए गए हैं ।
- साइबर एवं कत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पाठ्यक्रम: डीआरडीओ ने एआई और मशीनी अधिगम (एमएल) में प्रमाणित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और इन डोमेनों में अब तक 2000 से भी अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है ।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के तहत प्रायोजित फेलोशिप के माध्यम से उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं और डीआरडीओ के बीच सहयोग : इस स्कीम के तहत विभिन्न डीआरडीओ परियोजनाओं पर कार्य करने और इस प्रकार युवा अनुसंधान स्कॉलरों को आकर्षित करने तथा उन्हें डीआरडीओ की अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों, उच्च प्रयोजनीय अनुसंधान एवं विकासत्मक क्रियाकलापों का कामकाजी अनुभव प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एआईसीटीई/केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में पीएचडी कार्मिकों के लिए 500 विद्यार्थियों को प्रायोजित किया गया है । इस स्कीम के तहत विद्यार्थियों अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चल रही आर एंड डी परियोजना का सीधे अनुभव के अवसर प्राप्त करते हैं ।

- प्रौद्योगिकी विकास निधि निदेशालय (टीडीएफ): टीडीएफ का सृजन प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के तहत परियोजनाओं के लिए किया गया था । यह स्कीम विशेष रूप से एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप सार्वजनिक / निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है ताकि रक्षा विनियोजन हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए पारिस्थिकी का सृजन किया जा सके ।
- भारतीय सैन्य बलों द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार है :-

(i) आईडेक्स : आईडेक्स नवाचार समाधानों के विकास के लिए अग्रणी रनर के रूप में उभरता है ।

(ii) मेक परियोजनाएं : मेक श्रेणियों का लक्ष्य निजी क्षेत्र सहित भारतीय औद्योगिक पारिस्थिकी तंत्र में बृहत्तर भागीदारी को शामिल कर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करना है ।

(iii) नोडल प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनटीसी): नोडल प्रौद्योगिकी केन्द्रों (एनटीसी) को भारतीय वायु सेना बेस मरम्मत डिपो पर उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में स्थापना किया गया है ।

(iv) सेना प्रौद्योगिकी बोर्ड (एटीबी): एटीबी भारतीय सेना में प्रौद्योगिकी का समाधान में वृद्धि करने की दिशा में शिक्षा जगत / उद्योग के प्रयासों में सामंजस्य लाता है ।

- सरकार ने सेवाओं की कुल 310 मदों में से तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 2958 मदों में से दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां अधिसूचित की हैं , जिनके लिए उनके विरुद्ध दर्शायी गई समयसीमाओं के परे आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रु. करोड़ में)

| **वर्ष** | **डीडी आर एंड डी व्यय** |
|---|---|
| 2017-18 | 15203.04 |
| 2018-19 | 17049.01 |
| 2019-20 | 17375.13 |
| 2020-21 | 15706.98 |
| 2021-22 | 18290.98 |

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोक सभा में **श्री बी.बी. पाटील** द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी लोक सभा के पटल पर रखी।

**एबीबी/डीएस**